



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 169-2017/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2017 (BHADRA 30, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 सितम्बर, 2017

संख्या 84/एसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, सितंबर, 2017 के अठारहवें दिन को ऐसी तिथि के रूप में नियत करते हैं, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के उपबंध, उक्त धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों और उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए नीचे विनिर्दिष्ट निम्नलिखित व्यक्तियों के सम्बन्ध में लागू होंगे, अर्थात्:-

- (क) किसी कार्य को करने के लिए साम्या (इक्विटी) या नियंत्रण द्वारा इक्यावन प्रतिशत या अधिक की भागीदारी के साथ —
- (i) संसद या किसी राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा गठित ; या
- (ii) किसी सरकार द्वारा स्थापित,
- कोई प्राधिकरण या बोर्ड या कोई अन्य निकाय ;
- (ख) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 21) के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित कोई सोसाइटी ;
- (ग) पब्लिक सेक्टर उपक्रम :

परन्तु उक्त व्यक्ति, सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तिथि से, कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता को किए गए या जमा किए गए भुगतान से कर की कटौती करने का दायी होगा।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 22nd September, 2017

No:84/ST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, hereby appoints the 18th day of September, 2017 as the date on which the provisions of sub-section (1) of section 51 of the said Act shall come into force with respect to persons specified under clauses (a) and (b) and the following persons as specified below for the purposes of clause (d) of sub-section (1) of section 51 of the said Act, namely:-

- (a) an authority or a board or any other body, -
 - (i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or
 - (ii) established by any Government,
with fifty-one percent or more participation by way of equity or control, to carry out any function;
- (b) society established by the Central Government or the State Government or a Local Authority under the Societies Registration Act, 1860 (Central Act 21 of 1860);
- (c) public sector undertakings:

Provided that the said persons shall be liable to deduct tax from the payment made or credited to the supplier of taxable goods or services or both with effect from a date to be notified subsequently, on the recommendations of the Council, by the Government.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.